



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण 1948 (श०)
(सं० पटना 894) पटना, बृहस्पतिवार, 30 जुलाई 2026

सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना

29 जुलाई 2026

सं० 3/एच०-01/2023-13730/सा०प्र०—भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-9266 दिनांक-06.07.2026 द्वारा बिहार राज्य के 182-बांकीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप निर्वाचन, 2026 हेतु दिनांक-30.07.2026 (गुरुवार) को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-13226 दिनांक-21.07.2026 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 'ख' में निहित प्रावधानों के आलोक में 182-बांकीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक-30.07.2026 (गुरुवार) को निर्धारित उपचुनाव में मतदान हेतु सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

3. उक्त संदर्भ में कतिपय संस्थाओं (बैंकिंग, व्यापार आदि) द्वारा उक्त सवैतनिक अवकाश के संबंध में कतिपय पृच्छाओं के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक-30.07.2026 (गुरुवार) को 182-बांकीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित उप चुनाव में मतदान करने हेतु किसी भी व्यावसाय, व्यापार या औद्योगिक उपक्रम में नियोजित कर्मी, जो उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 'ख' में निहित प्रावधानों तथा एन.आई. ऐक्ट, 1881 की धारा-25 के अधीन विनियमित हैं, उनके लिए भी सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

आदेश से,
रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 894-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>